भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3195**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**एफ॰जी॰एम॰ पर रोक**

**3195. श्री मो॰ नदीमुल हकः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिला जननांग विकृति (एफ॰जी॰एम॰) को स्वेच्छा से त्याग देने के लिए एक फतवा जारी करने हेतु दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु सैयदना अलीकद्र मुफद्दल सैफुद्दीन को पत्र भेजा है, जैसाकि मंत्री द्वारा 29 मई, 2017 को वादा किया गया था;

(ख) देश में एफ॰जी॰एम॰ के अस्तित्व का अध्ययन करने और एनसीआरबी द्वारा आधिकारिक आंकड़ों का रखरखाव करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफ॰जी॰एम॰ को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार एफ॰जी॰एम॰ को स्पष्ट रूप से रोकने और इसे अपराध बनाने में क्यों सक्षम नहीं हैं?

**उत्‍तर**

डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : भारत सरकार ने दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु सैयदना अलीकद्र मुफद्दल सैफुद्दीन को कोई पत्र नहीं भेजा है।

(ख) : देश में एफजीएम पर अध्‍ययन कराने या डाटा अनुरक्षित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

(ग) : जी हां। लैंगिक समानता पर संपोषणीय विकास लक्ष्‍य (एसडीजी) का उद्देश्‍य सभी हानिकर प्रथाओं जैसे कि बाल, समय से पहले एवं जबरन विवाह तथा महिला जननांग विकृति को समाप्‍त करना है।

(घ) : भारतीय दंड संहिता आदि सहित वर्तमान भारतीय कानूनों के तहत ऐसे अनेक प्रावधान है जो महिला के शरीर की विकृति/चोट/उल्‍लंघन को शामिल करते हैं।

\*\*\*\*\*